

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264-ब]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2006—आश्विन 20, शक 1928

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 745/एफ-2 (6)05/48/सं.का.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9, सहपठित धारा 5-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—

- ये नियम छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य हवाई यात्रा प्रतिपूर्ति नियम, 2006 कहलायेंगे.
- ये नियम 15 फरवरी, 2005 से प्रभावशील माने जायेंगे.

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन, अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973);
- (ख) “भूतपूर्व सदस्य” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6-क के अन्तर्गत पेंशन का हकदार व्यक्ति ;
- (ग) “सचिव” सचिव से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिव और इसमें सम्मिलित है विधान सभा के ऐसे अधिकारी जो इन नियमों के प्रयोजन हेतु अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किये जाये.
3. हवाई यात्रा का हक :— अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य नियम 6 में निर्धारित सीमा के अधीन तीन हवाई यात्रा एवं रेल यात्रा के हकदार होंगे.
4. हवाई टिकट राशि की प्रतिपूर्ति :— भूतपूर्व सदस्य, उनके द्वारा की गई हवाई यात्रा टिकट की दूसरी पर्त (काउन्टर फाईल) नियम 5 द्वारा अपेक्षित घोषणा के साथ धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु सचिव को प्रस्तुत करेंगे. यदि दूसरी पर्त (काउन्टर फाईल) गुम हो जाती है या किसी अप्राधिकृत व्यक्ति के पास हो तो उसे सुसंगत यात्रा के बारे में यथास्थिति इंडियन एयर लाइन्स या ट्रेवल् एजेंसी का प्रमाण-पत्र यात्रा के अन्य प्रमाण यथा बॉर्डिंग पास के साथ प्रस्तुत करना होगा. सचिव द्वारा हवाई यात्रा व्यय की पात्रता के सत्यापन पश्चात् प्रतिपूर्ति देयक राशि का आहरण कर भूतपूर्व सदस्य को भुगतान किया जाएगा.
5. हवाई यात्रा संबंधी घोषणा :— प्रत्येक सदस्य सचिव, विधान सभा को हवाई टिकट प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते समय हवाई यात्रा के संबंध में पत्रक “क” में, एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा.
6. इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ भूतपूर्व विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 के अधीन की गई हवाई तथा रेल यात्रा की कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में रुपये साठ हजार से अधिक नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

क्रमांक 746/एफ-2 (6)-05/48/सं.का.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य हवाई यात्रा प्रतिपूर्ति नियम, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Raipur, the 12th October 2006

NOTIFICATION

No. 745/F-2 (6) 05/48/P. A. — In exercise of the powers conferred by clause (aa) of Sub-section (2) of Section 9 read with sub-section (2) of section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadsya Vetan Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) the State Government, hereby makes the following rules, namely :—

RULE

1. Short title and commencement :—

1. These rules may be called the Chhattisgarh Legislative Assembly Ex-members Air Journey re-imburement rules, 2006.
2. It shall be deemed to have come into force with effect from 15th Feb. 2005.

2. Definitions :— In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadsya Vetan Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).
- (b) "Ex-member" means a person entitled to pension, under section 6-A of the Act.
- (c) "Secretary" means the Secretary of the Chhattisgarh Legislative Assembly and includes any other officer of the Vidhan Sabha as may be authorised by the speaker for the purposes of the rules.

3. Entitlement of Air journey :— Subject to the provisions of the Act, every ex-member shall be entitled for three journey by Air and journey by rail subject to the limit prescribed under rule-6.

4. Re-imburement of the amount of Air tickets :— The ex-member shall submit the second copy (counter foil) of Air ticket to the secretary about the journey performed by him for re-imburement of the amount with the declaration as required under rule-5. If the second copy (counter foil) is lost, misplaced, or held by any unauthorized person: then the member shall produce a travelling certificate of Indian Airlines or travelling agency as the case may be about relevant journey alongwith other certificates as boarding pass. After due verification of entitlement expenditure of journey the amount shall be drawn by the Secretary and paid to the ex-member.

5. Declaration of journey by Air :— Every member shall submit a declaration of journey by Air in Form "A" at the time of presentation of air ticket for re-imburement.

6. The total amount of journey by Air and Rail under this rule and the Chhattisgarh Ex-Member of the Legislative Assembly (Free of cost journey by Rail) Rule, 1996 shall not exceed Rs. Sixty Thousand in a financial year.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
R. P. SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.

प्ररूप -क
(नियम-5 देखिये)

(हवाई यात्रा संबंधी घोषणा पत्र)

घोषणा पत्र

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ कि निम्न विवरणानुसार मेरे द्वारा की गयी वर्ष 200 की यात्रा है इस यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मैंने इसके पूर्व कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है.

यात्रा का दिनांक

टिकिट क्रमांक

स्थान (कहाँ से कहाँ तक)

राशि

दिनांक —

भूतपूर्व सदस्य का नाम
छत्तीसगढ़/पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश
निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक

सत्यापित किया जाता है कि माननीय पूर्व सदस्य द्वारा प्रस्तुत हवाई यात्रा टिकिट की राशि निर्धारित वर्ष 200..... के रेल्वे कूपन पात्रता की राशि की सीमा में है. अतः राशि रुपए प्रतिपूर्ति भुगतान योग्य है.

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा,
रायपुर.

FORM—A
(See Rule 5)

(Declaration reg. Air Journey)

DECLARATION

I hereby, declare that the Journey performed by me details as under given below is (first/second/third) of the year 200 I have not submitted the any claim for re-imbusement of expenditure for this journey previously.

Date of Journey	Ticket No.	Place		Amount
		From	To	

Dated :

Name of Ex-member
Constituency Number of Chhattisgarh/precedent
Madhya Pradesh

VERIFICATION

Verified that amount of air ticket as submitted by the Hon'ble ex-member under limiation of Railway coupon for the year 200 entitlement. So, the re-imbusement of the amount Rs. is payable.

Secretary,
Chhattisgarh Vidhan Sabha.
Raipur.